फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई-कालीकट/सीपी-IV/2026-31

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 19 अक्तूबर, 2026

सार्वजनिक सूचना संख्या 19/2026-27

विषय: कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कालीकट के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी ऐरा के दिनांक 12.10.2026 के परामर्श पत्र (सीपी) संख्या 08/2026-27 के अंतर्गतअपेक्षा किए अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एटीपी/टैरिफ कार्ड की प्रस्तुति

कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कालीकट के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी दिनांक 12.10.2026 के परामर्श पत्र (सीपी) संख्या 08/2026-27 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने परामर्श पत्र के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार दिनांक 19.10.2026 के अपने पत्र संख्या एएआई/369/2021-जेवीसी/99608/2352 द्वारा प्रस्तावित एटीपी/टैरिफ कार्ड ऐरा को प्रस्तुत कर दिया है। एटीपी/ टैरिफ कार्ड की प्रति संलग्न है। **सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि इसके साथ संलग्न एटीपी/टैरिफ कार्ड प्रस्ताव हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परंतु, प्राधिकरण अपने स्तर पर यथोचित परिश्रम करके और व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाने के बाद टैरिफ दरों को युक्तिसंगत बनाता है और सभी हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को ध्यान में रखकर टैरिफ दर कार्ड को अंतिम रूप देता है। प्राधिकरण द्वारा जारी अंतिम टैरिफ दर कार्ड संभवत: हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत कार्ड से भिन्न हो सकता है।**

3. एटीपी/ टैरिफ कार्ड ऐरा की आधिकारिक वेबसाइट पर "सार्वजनिक सूचना (Public Notice)" के अंतर्गत परामर्श पत्र संख्या 08/2026-27 के साथ देखा जा सकता है।

4. उपर्युक्त जानकारी सभी हितधारकों के लिए है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)